न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 16/2026

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्री दिलीप पुत्र नेमीचंद, मालिक गणेश मिष्ठान भण्डार डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।

निर्णय **दिनांक** –29.04.2026

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 02 गैस सिलेण्डर मय गैस व एक गैस भटटी को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 29.04.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

1– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 14.03.2026 को समय 12.05 पी.एम. बजे उपखण्ड अधिकारी डेगाना, तहसीलदार डेगाना एवं श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरूपयोग की सूचना पर गणेश मिष्ठान भण्डार डेगाना पर पहुंचे। मौके पर उक्त के गणेश मिष्ठान भण्डार के मालिक दिलीप पुत्र नेमीचन्द उपस्थित मिले। मौके पर उक्त गणेश मिष्ठान भण्डार का निरीक्षण करने पर दुकान / गोदाम के बाहर गैस भट्टी से जुड़ा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया, जिसे श्री दिलीप ने उक्त सिलेण्डर गणेश मिष्ठान भण्डार का होना स्वीकार किया। गणेश मिष्ठान भण्डार के गोदाम का निरीक्षण करने पर एक अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर गोदाम के अण्डरग्राउण्ड के रूम में रखा पाया गया। श्री दिलीप से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग के दस्तावेज या अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये, जिस पर मौके पर ही उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस भट्टी के जब्त सरकार किये गये। उक्त जब्तसुदा दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों का इलेक्ट्रिक कांटे से तोलकर वजन किया गया।

1(1)–उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	एस.आर. नं.	नाम गैस कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन(किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन(किलोग्राम में)	शुद्व गैस का वजन (किलोग्राम में)
1	069777-S	HPCL	17.1	15.6	1.5
2	601871-S	HPCL	16.1	15.7	0.4

उपरोक्त 02 गैस सिलेण्डर मय गैस व एक गैस भटटी को मौके पर ही श्री साईनाथ एचपी गैस एजेन्सी डेगाना के प्रतिनिधि श्री मोहित पुत्र सत्यनारायण ग्राम झगडवास को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये।

इस प्रकार श्री दिलीप पुत्र नेमीचंद का यह कृत्य द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण कस विनियमन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 02 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक गैस भटटी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

29/4/26

अपर कलक्टर, नागौर

2– अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी डेगाना, तहसीलदार डेगाना एवं श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा 2 गैस सिलेण्डर मय गैस भटटी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त किये गये थे, जिसका निर्णय विधिनुसार कर दिया जावे।

3– प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी डेगाना, श्रीमान् तहसीलदार डेगाना एवं श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 02 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक गैस भटटी मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री दिलीप से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण कस विनियमन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 02 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक गैस भटटी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 02 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस तथा गैस की भटटी का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4– निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/4/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर